





| अ. क्र.  | घटक, उपघटक व बाबी   | वैयक्तिक / सामुदायिक / सार्वजनिक | परिमाण  | प्रकल्प अर्थसहाय्य | अनुदान रु.लाख | एकूण मागणी (भौतिक) | आवश्यक निधी (रु. लाख) | २०१८-१९     |             | २०१९-२०       |               | २०२०-२१      |              | एकूण          |               |
|----------|---|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|          |   |                                  |         |                    |               |                    |                       | भौतिक       | आर्थिक      | भौतिक         | आर्थिक        | भौतिक        | आर्थिक       | भौतिक         | आर्थिक        |
| ५.१      | विहिरींचे / कुपनलिकांचे पुनर्भरण करणे                                 | वैयक्तिक                         | संख्या  | १००%               | 0.14          | 40.00              | 5.60                  | -           | -           | 20.00         | 2.80          | 20.00        | 2.80         | 40.00         | 5.60          |
|          | <b>एकूण पाण्याचा कार्यक्षम व शाश्वत वापर</b>                          |                                  |         |                    |               | <b>90.00</b>       | <b>148.10</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>50.00</b>  | <b>95.30</b>  | <b>40.00</b> | <b>52.80</b> | <b>90.00</b>  | <b>148.10</b> |
| <b>6</b> | <b>मुलस्थानी जलसंधारण</b>   |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             |               |               |              |              |               |               |
| ६.१      | (शेत बांध बंदिस्ती/डाळीचे बांधबंदिस्ती)                               | वैयक्तिक                         | क्षेत्र | १००%               | 0.09          | 200.00             | 18.00                 | -           | -           | 200.00        | 18.00         | -            | -            | 200.00        | 18.00         |
| <b>7</b> | <b>सुक्ष्म सिंचन</b>  |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             |               |               |              |              |               |               |
| 7.1      | टिब्रक सिंचन  | वैयक्तिक                         | क्षेत्र | ५०%                | 0.60          | 15.00              | 9.00                  | -           | -           | 15.00         | 9.00          | -            | -            | 15.00         | 9.00          |
| 7.2      | तुपार सिंचन   | वैयक्तिक                         | क्षेत्र | ५०%                | 0.13          | 15.00              | 1.88                  | -           | -           | 15.00         | 1.88          | -            | -            | 15.00         | 1.88          |
|          | <b>एकूण सुक्ष्म सिंचन</b>   |                                  |         |                    |               | <b>30.00</b>       | <b>10.88</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>30.00</b>  | <b>10.88</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>30.00</b>  | <b>10.88</b>  |
| <b>8</b> | <b>संरक्षित सिंचनाकरिता पाण्याची उपलब्धता</b>                         |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             |               |               |              |              |               |               |
| 8.1      | पाणी उपसा साधने (पंपसंच)  | वैयक्तिक                         | संख्या  | ५०%                | 0.10          | 25.00              | 2.50                  | -           | -           | 25.00         | 2.50          | -            | -            | 25.00         | 2.50          |
| 8.2      | पाईप (एचडीपीई/ पीव्हीसी)  | वैयक्तिक                         | संख्या  | ५०%                | 0.15          | 25.00              | 3.75                  | -           | -           | 25.00         | 3.75          | -            | -            | 25.00         | 3.75          |
|          | <b>एकूण संरक्षित सिंचनाकरिता पाणी उपलब्धता</b>                        |                                  |         |                    |               | <b>50.00</b>       | <b>6.25</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>50.00</b>  | <b>6.25</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>50.00</b>  | <b>6.25</b>   |
| III      | <b>काढणी पश्चात व्यवस्थापन व हवामान अनुकूल मुल्य साखळीचे बळकटीकरण</b> |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             |               |               |              |              |               |               |
| <b>1</b> | <b>पायाभूत सुविधा निर्माण करणे</b>                                    |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             |               |               |              |              |               |               |
| 1.1      | पॅकहाऊस   | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 2.00          | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.2      | प्रतवारी व संकलन केंद्र   | सामुदायिक                        | संख्या  | ४०%                | 6.00          | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.3      | गोदाम   | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 12.50         | 1.00               | 12.50                 | -           | -           | -             | -             | 1.00         | 12.50        | 1.00          | 12.50         |
| 1.4      | प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र   | सामुदायिक                        | संख्या  | ४०%                | 10.00         | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.5      | पूर्व शीतकरण गृह  | सामुदायिक                        | संख्या  | ३५%                | 9.00          | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.6      | शीतगृह  | सामुदायिक                        | संख्या  | ३५%                | 50.00         | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.7      | रायपनिंग चेंबर  | सामुदायिक                        | संख्या  | ३५%                | 50.00         | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.8      | कांदा चाळ   | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 0.88          | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.9      | स्थायी /फिरते विक्री केंद्र   | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 0.15          | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 1.10     | शेतमाल वाहतुकीकरिता वाहन/ शीतवाहन                                     | सामुदायिक                        | संख्या  | ३५%                | 9.00          | 1.00               | 9.00                  | -           | -           | -             | -             | 1.00         | 9.00         | 1.00          | 9.00          |
|          | <b>एकूण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे</b>                               |                                  |         |                    |               | <b>2.00</b>        | <b>21.50</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>2.00</b>  | <b>21.50</b> | <b>2.00</b>   | <b>21.50</b>  |
| २        | भाडे तत्वावर कृषि अवजारे केंद्र -सुविधा निर्मिती                      | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 7.50          | 1.00               | 7.50                  | -           | -           | -             | -             | 1.00         | 7.50         | 1.00          | 7.50          |
| ३        | हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत आणि प्रमाणित बियाणे तयार करणे           | सामुदायिक                        | क्षेत्र | १००%               | 0.15          | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| <b>४</b> | <b>बियाणे हब-पायाभूत सुविधांच्या विकास करणे</b>                       |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             |               |               |              |              |               |               |
| 4.1      | बियाणे प्रक्रिया उपकरणे १००० मे.टन क्षमतेसाठी                         | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 18.90         | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 4.2      | बियाणे सुकवणी यार्ड १००० मे.टन क्षमतेसाठी                             | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 16.35         | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
| 4.3      | बियाण्याची साठवण / गोदाम ७०० चौ.मी. (क्षमता १००० मे.टन)               | सामुदायिक                        | संख्या  | ५०%                | 26.25         | -                  | -                     | -           | -           | -             | -             | -            | -            | -             | -             |
|          | <b>एकूण बियाणे हब-पायाभूत सुविधा विकास</b>                            |                                  |         |                    |               | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|          | <b>एकूण आर्थिक</b>  |                                  |         |                    |               |                    | <b>227.15</b>         | <b>9.00</b> | <b>2.69</b> | <b>350.00</b> | <b>132.84</b> | <b>70.00</b> | <b>91.63</b> | <b>429.00</b> | <b>227.15</b> |
|          | <b>एकूण वैयक्तिक शेतकरी (रु. लाख)</b>                                 |                                  |         |                    |               |                    |                       |             | <b>2.69</b> |               | <b>92.84</b>  |              | <b>62.63</b> |               | <b>158.15</b> |
|          | <b>एकूण गट/सामुदायिक/उत्पादक कंपनी (रु. लाख)</b>                      |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             |               |               |              | <b>29.00</b> |               | <b>29.00</b>  |
|          | <b>एकूण सार्वजनिक क्षेत्रावरील कामे (रु. लाख)</b>                     |                                  |         |                    |               |                    |                       |             |             | <b>40.00</b>  |               |              |              |               | <b>40.00</b>  |